**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**पंचायती राज**

**क्रमांकः**— एफ. 165( )पराविं/लेखा/Sppp/2016/ दिनांकः

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
**जिला परिषद—समस्त।**

**विषयः**— **Government eMarketplace (GeM) Portal** पर रजिस्ट्रेशन कर उपापन करने बाबत।

**प्रसंगः**— संयुक्त शासन सचिव, वित्त (G&T) का अ.शा.पत्र क्रमांक एफ 6(2) वित्त /साविलेनि/2016/एसपीएफसी, दिनांक 19.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त (SPFC) विभाग से **GeM Portal** के उपयोग बाबत इस विभाग के प्रयोजनार्थ प्राप्त स्वीकृति के क्रम में लेख है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त को **GeM Portal** पर विभागाध्यक्ष की तरह प्राईमरी यूजर (**Primary User**) के रूप में रजिस्ट्रेशन हेतु अधिकृत किया जाता है।

इसी क्रम में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला परिषदों मे क्रय के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समितियों के प्रयोजनार्थ विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव (संयुक्त रूप से) को सैकण्डरी यूजर **(Secondary User)** के रूप में रजिस्ट्रेशन करावें। इस बाबत वित्त विभाग द्वारा प्रसारित समस्त दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए इस पोर्टल पर उपापन कार्यवाही की जानी है।

अतः आपके अधीन सभी पंचायती राज संस्थाओं का **GeM Portal** पर 7 दिवस में रजिस्ट्रेशन कर सूचना विभागीय मेल आई—डी **rajpr.fa@rajasthan.gov.in** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। सभी पंचायती राज संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि नियमानुसार यथा आवश्यकता वित्त विभाग के समय—समय पर प्रसारित आदेशों की पालना करते हुए उपापन की कार्यवाही करें ताकि लोक उपापन में पारदर्शिता बनी रहे।

ह०
(नवीन महाजन)
**शासन सचिव एवं आयुक्त**

**क्रमांकः**— एफ. 165( )पराविं/लेखा/Sppp/2016/ 6691-98
दिनांकः 27-09-17

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त (SPFC) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद—समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति—समस्त।
6. सरपंच/ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत—समस्त जरिये विभागीय वेबसाईट।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
**वित्तीय सलाहकार**



D/All File/New folder/Dharmndra ji Latter